



प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-24.07.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के पूंजीगत मद में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्रों की सूची अनुमोदित किये जाने तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-के०एस०एस०एस०सी०आई०/परचेज/2026-27/224/01, दिनांक 26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्थान के 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 15,000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹0 4066.93 लाख से उन उपकरणों को क्रय किया जाना है, जिनकी टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी, हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान हेतु उपकरणों की संलग्न सूची जिनकी टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी को अनुमोदित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानक मद-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 15000.00 के सापेक्ष धनराशि ₹0 4066.93 लाख (रुपये चालीस करोड़ छियासठ लाख तिरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं निदेशक, संस्थान की होगी।
2. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।

3. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
4. उपकरणों के प्रोप्राइटरी होने का निर्धारण किये जोन की दायित्व, क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन व क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
5. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान को होगा।
6. उक्त उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
9. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28/03/2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
10. पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
11. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
12. सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
13. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
14. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकांश उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर हो और उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण हैं।
15. प्रश्नगत उपकरणों की सूची इस शर्त के साथ अनुमोदित कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूर्ण पालन किया जाये। किसी भी अनियमितता की स्थिति में क्रय प्रक्रिया से जुड़े समस्त अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
16. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,66,93,000 (रुपये चालीस करोड़ छियासठ लाख तिरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055900 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कृतिकाशर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या-75/2026/1/1407548/2026/001-71-2099-46-2025.तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-75/2026/1/1407548/2026/001-71-2099-46-2025

दिनांक-24.07.2026 का संलग्नक

क्र०सं०	सामग्री	अनुमानित लागत (रूपये में)	प्राप्त न्यूनतम दर (L-1)/अनुमानित लागत (रूपये में)
1	फर्नीचर (हॉस्पिटल एवं ऑफिस) (हॉस्पिटल फर्नीचर जी-9, ऑफिस फर्नीचर, वर्क स्टेशन फार प्रक्योरमेंट, सर्विसेज व आईटी विभाग, फर्नीचर फार रेडियेशन आंकोलॉजी-शासनादेश संख्या-84/2025/1/1133360 / 2025/002-71-2099-46-2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार)	14,05,49,000.00	11,38,12,073.12 निविदा द्वारा प्राप्त न्यूनतम (L-1) दर
2	'इन्ट्रैक्टिव पैनल एवं विडियो वॉल इत्यादि (आईटी प्रोडक्ट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फार एच.आई.एस. सर्वर स्टोरेज, सेक्योरिटी साफ्टवेयर एण्ड नेटवर्किंग, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, इंट्रैक्टिव पैनल, टैक्सैज एवं इयूटीस इत्यादि-शासनादेश संख्या-84/2025/1/1133360 /2025 /002-71-2099-46-2025, दिनांक 06.11.2025 के अनुसार)	6,38,37,000.00	5,83,89,733.00 निविदा द्वारा प्राप्त न्यूनतम (L-1) दर
3	'कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जोकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय हेतु स्वीकृत थे किन्तु जिनकी क्रय प्रक्रिया 2026-27 में कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण की जानी है। (आईटी प्रोडक्ट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फार एच.आई.एस. सर्वर स्टोरेज, सेक्योरिटी साफ्टवेयर एण्ड नेटवर्किंग, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, इंट्रैक्टिव पैनल, टैक्सैज एवं इयूटीस इत्यादि शासनादेश संख्या-84/2025/1/1133360/2025 /002-71-2099-46-2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार)		10,00,00,000.00 अनुमानित दर
4	चिकित्सा उपकरण जोकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय हेतु स्वीकृत थे किन्तु जिनकी क्रय प्रक्रिया 2026-27 में पूर्ण हो पायी तथा आपूर्ति की न्यूनतम दर प्राप्त हो गयी।	1,68,50,000.00	1,93,51,277.92 निविदा द्वारा प्राप्त न्यूनतम (L-1) दर
5	चिकित्सा उपकरण जोकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय हेतु स्वीकृत थे किन्तु जिनकी क्रय प्रक्रिया 2025-26 में पूर्ण नहीं हो पायी है तथा क्रय की निविदा प्रक्रियागत है।	1,51,40,000.00	1,51,40,000.00 अनुमानित दर
6	एच.आई.एस. साफ्टवेयर जोकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय हेतु स्वीकृत था किन्तु जिनकी क्रय प्रक्रिया 2026-27 में कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण की जानी है।	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00 अनुमानित दर
	कुल धनराशि (रूपये में)-	33,63,76,000.00	40,66,93,084.04

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।